झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

पत्रांक-03/कृ0रा0यो0-13/2022 59 /कृ0, रांची, दि0 05/01/2023

शुद्धि पत्र

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग), झारखण्ड, राँची द्वारा राज्य योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में मृदा एवं जल संरक्षण योजना अन्तर्गत बंजर भूमि/राईस फेलो विकास उपयोजना अन्तर्गत 5 एकड़ से कम जल क्षेत्र वाले सरकारी/निजी तालाब का जीर्णोद्धार/गहरीकरण एवं जलनिधि उपयोजना अन्तर्गत परकोलेशन टैंक का निर्माण एवं डीप बोरिंग हेतु निर्गत स्वीकृत्यादेश सं0-37 दिनांक-20.10.2022 की कंडिका-31 को विलोपित करते हुए निम्न कंडिकाओं को इस हद तक संशोधित किया जाता है :-

1. कंडिका-08 को विलोपित करते हुए यह जोड़ा जाता है कि **"इस योजनान्तर्गत राशि का भुगतान, किये गये कार्य के विरूद्ध मापी पुस्त में अंकित विपत्र के अनुसार किया जायेगा।"**
2. कंडिका-19 के साथ यह भी पढ़ा जाय कि **किसी जिला में योजना क्रियान्वयन के पश्चात अवशेष राशि से उसी जिला में अतिरिक्त भौतिक लक्ष्य निदेशक भूमि संरक्षण के निदेशानुसार प्राप्त किया जा सकता है।**
3. कंडिका-22.2(ii) में वर्णित विहित प्रपत्र-(i) संलग्न है।
4. कंडिका-29 में वर्णित तृतीय पक्ष मूल्यांकन कार्य हेतु राशि आगामी वित्तीय वर्ष में प्रावधानित किया जायेगा।
5. कंडिका-30 के तालिका को निम्नवत संशोधित किया जाता है :-

क्र0	पदाधिकारी	निरीक्षण	योजनावार निरीक्षण की संख्या
i	सहायक भूमि संरक्षण पदाधिकारी	100 प्रतिशत योजनाओं	न्यूनतम 4 (चार)
ii	भूमि संरक्षण (सर्वे) पदाधिकारी/भूमि संरक्षण पदाधिकारी	100 प्रतिशत योजनाओं	न्यूनतम 3 (तीन)
iii	जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी/सहायक निदेशक (सर्वे), भूमि संरक्षण, हजारीबाग	100 प्रतिशत योजनाओं	न्यूनतम 2 (दो)
iv	उप निदेशक भूमि संरक्षण	5 प्रतिशत योजनाओं	न्यूनतम 1 (एक)
v	निदेशक भूमि संरक्षण	1 प्रतिशत योजनाओं	न्यूनतम 1 (एक)

6. उक्त वर्णित स्वीकृत्यादेश की शेष अन्य शर्ते/प्रावधान/लक्ष्य यथावत् रहेंगी।
7. प्रस्ताव एवं शुद्धि-पत्र प्रारूप पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
8. शुद्धि-पत्र प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

सरकार के सचिव।

पत्रांक-03/कृ0रा0यो0-13/2022 59 **/कृ0, रांची, दि0** 05/01/2023

प्रतिलिपिः- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/उपायुक्त/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

पत्रांक–03/कृ0रा0यो0–13/2022 59 /कृ0, रांची, दि0 05/01/2023

प्रतिलिपिः– निदेशक भूमि संरक्षण, झारखण्ड, राँची को मूल प्रति के अलावा शुद्धि–पत्र की प्रति उनके ई–मेल आई0डी0–dirsoilconservation@gmail.com पर भेजी जा रही है तथा विभागीय वेबसाईट www.jharkhand.gov.in पर अपलोड की जा रही है।

सरकार के सचिव।

पत्रांक–03/कृ0रा0यो0–13/2022 59 /कृ0, रांची, दि0 05/01/2023

प्रतिलिपिः– मा0मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अपर निदेशक–सह–अपर सचिव/संयुक्त सचिव (योजना)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रांची/ निदेशक भूमि संरक्षण/संयुक्त कृषि निदेशक (अभि0), भूमि संरक्षण निदेशालय, झारखण्ड, राँची/उप निदेशक, भूमि संरक्षण, राँची/सभी संबंधित सहायक निदेशक (सर्वे), भूमि संरक्षण/संबंधित सभी जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी/संबंधित सभी भूमि संरक्षण पदाधिकारी/संबंधित सभी भूमि संरक्षण (सर्वे) पदाधिकारी योजना एवं बजट शाखा–3, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

प्रपत्र – I

जलनिधि

Deep Boring, Percolation Tank हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

जिला का नाम– ग्राम– प्रखण्ड–

पंचायत–

आवेदक का नाम– पिता/पति का नाम–

संस्था का नाम (सामूहिक आवेदनकर्त्ता हेतु)–

संस्था का अध्यक्ष/सचिव का नाम (सामूहिक आवेदनकर्ता हेतु)– आवेदक का फोटोग्राफ

कृषक श्रेणी (अ0ज0जा0/अ0जा0/सामान्य)–

मोबाईल नं0–

भू धारिता संबंधी विवरणी–

जिला– प्रखण्ड– ग्राम–

खाता नं0– कुल रकबा–

रकबा (जिसमें सिंचाई किया जाना है)–

उर्जा आपूर्ति के श्रोत–

(i) विद्युत (ii) डीजल

(iii) पेट्रॉल (iv) केरोसीन

Deep Boring, Percolation Tank का कार्य करने वाली संस्था का नाम–

निर्माण उपलब्धता का श्रोत–

(i) स्वयं (ii) बैंक ऋण

अनुदान की राशि जमा करने हेतु बैंक खाता की विस्तृत जानकारी–

(i) खाता नं0– (ii) खाता धारक का नाम–

(iii) बैंक का नाम– (iv) बैंक शाखा का नाम–

(v) IFSC Code

घोषणा पत्र

मैं आवेदनकर्त्ता .... पिता............................ ग्राम......................................प्रखण्ड............ .... जिला............................ घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त दिया गया ब्यौरा सही है एवं योजना के संबंध में विभाग द्वारा दिये गये योजना कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शन का पूर्ण रूप से पालन करूँगा एवं कृषक अनुदान की राशि संबंधित कार्यकारी एजेंसी/आपूर्तिकर्त्ता को उपलब्ध करा दूँगा।

दिनांक–

स्थान– आवेदकों का हस्ताक्षर

मैं आवेदक कृषक................................ पिता.................................. ग्राम...................प्रखण्ड........... .... जिला.......................... को विगत .... वर्ष से जानता हूँ। आवेदक कृषक खाता नं0........ .... पर डीप बोरिंग कराना चाहता हूँ। ताकि कृषि उत्पादन हेतु सिंचाई कर सकें। मैं डीप बोरिंग कराने हेतु अनुशंसा करता हूँ।

सहायक भूमि संरक्षण पदाधिकारी/प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/
क्षेत्र पर्यवेक्षक (भूमि संरक्षण)/विधिवत प्राधिकृत कर्मी

मुखिया/पंचायत प्रतिनिधि